प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 20.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.साजिद पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम मौहरसा थाना आहार जिला बुलंदशहर हाल पता आयशा मस्जिद के पास सुधीर एनक्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 2. मौ0 जान उर्फ अहमद जान उर्फ अज्जू पुत्र सुलेमान निवासी मांट जनपद मथुरा हाल पता सितारा मस्जिद रोड़ कच्ची कॉलोनी इकरामनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना शास्त्री पार्क, दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनो आपस में दोस्त हैं। हम दोनो पहले मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रैकी करते हैं तथा फिर सही मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं। हम लोग फैक्ट्री एरिया ट्रोनिका सिटी, लोनी व दिल्ली आदि क्षेत्रों से चोरी की घटना कारित करते हैं। चोरी की मोटरसाइकिलों को जंगल व घनी झाड़ियां में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाड़ी बाजार में बेचकर पैसे कमाकर आपस में बांट लेते हैं। हमारे पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुयी है यह हमने दिल्ली से चोरी की थी। हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.साजिद पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम मौहरसा थाना आहार जिला बुलंदशहर हाल पता आयशा मस्जिद के पास सुधीर एनक्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

2. मौ0 जान उर्फ अहमद जान उर्फ अज्जू पुत्र सुलेमान निवासी मांट जनपद मथुरा हाल पता सितारा मस्जिद रोड़ कच्ची कॉलोनी इकरामनगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त साजिद के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना शास्त्री पार्क, दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग, थाना कोतवाली शहर जनपद बुलन्दशहर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-03)**।

अभियुक्त मौ0 जान उर्फ अहमद जान उर्फ अज्जू के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग, थाना टीला मोड़ पर पुलिस मुठभेड का 01 अभियोग, थाना शास्त्री पार्क, दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-04)**।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.03.2026 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष का बहला फुसलाकर यौन शोषण करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर तत्काल सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.03.2026 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त समीर पुत्र निसार निवासी ग्राम डबाना थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे पीड़िता के काफी समय बातचीत व पहचान थी। दिनांक 18.03.2026 को पीड़िता के घर पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने पीड़िता के घर जाकर मौका पाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र निसार निवासी ग्राम डबाना थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 19.03.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त हत्या का प्रयत्न करने, चोरी/लूट की घटना कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 03 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्व कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	04/2026	अंकुर विहार	नितेश कुमार महतो पुत्र राजेन्द्र महतो निवासी गली नं0-10 निकट धर्मेन्द्र चौक चमन विहार थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 454/2023 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी 2. मु0अ0सं0 497/2023 धारा 392,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी 3. मु0अ0सं0 507/2023 धारा 379,411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
2	10/2026	सिहानीगेट	शिवम पुत्र देवेन्द्र निवासी-35 किशोरी नगर रविदासनगर पटेलनगर थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 30/2023 धारा 379,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 2. मु0अ0सं0 31/2023 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट, 3. मु0अ0सं0 31/2023 धारा 392,411 भादवि थाना सिहानीगेट
3	11/2026	सिहानीगेट	गौरव गुप्ता उर्फ पल्सर पुत्र सुधीर गुप्ता निवासी-म0नं0-165 सी ब्लॉक लोहियानगर थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 304,317(2) बीएनएस थाना नन्दग्राम, 2. मु0अ0सं0 344/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नन्दग्राम,

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 35** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 09- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व गोपनीय सूचनाएं/ डाटा विदेश भेजने वाले कुल 09 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 09 अदद मोबाइल फोन, सी0सी0टी0वी0 कैमरे बरामद।

- दिनांक 14.03.2026 को थाना कौशाम्बी पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि भोवापुर थाना कौशाम्बी में रहने वाले कुछ युवकों की गतिविधियां समाज के साथ-साथ राष्ट्रहित के लिए ठीक नहीं है, ये लोग रेलवे स्टेशन तथा सुरक्षा बलों की जगहों के वीडियो बनाकर कुछ लोगों को भेजते है तथा पैसे का लालच देकर इस काम को करने के लिए युवाओं को आकर्षित करते है।
- उक्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए थाना कौशाम्बी पर मु0अ0सं0 76/2026 धारा 61(2)/152 बी0एन0एस0 व 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 05 पुरूष व 01 महिला को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, जिनके मोबाइल फोन की गैलरी में आपराधिक वीडियो/ फोटो तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के फोटो/ वीडियो व लोकेशन प्राप्त हए थे।
- प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/ यातायात द्वारा पुलिस उपायुक्त, ट्रांसहिण्डन के पर्यवेक्षण में एवं अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया था, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम/ अपराध/ अभिसूचना व प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी/ साइबर क्राइम तथा स्वाट टीम अपराध शाखा/ ट्रांसहिण्डन जोन को सम्मिलित किया गया था।
- एस0आई0टी0 द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण को दिनांक 17.03.2026 से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिया गया है तथा अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के आधार पर निम्नलिखित अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है-

  1. नौशाद अली पुत्र जलालुद्दीन
  2.समीर उर्फ शूटर पुत्र शौकत अली
  3. गणेश पुत्र गोपाल गिरी
  4. विवेक पुत्र वीरेन्द्र राय
  5. गगन कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 मनोज कुमार
  6. दुर्गेश निषाद पुत्र बजरंगी
  7..05 नफर बाल अपचारी।

उक्त प्रकाश में आये अभियुक्तों में नौशाद अली व समीर उर्फ शूटर तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल उक्त गिरोह के मुख्य हैण्डलर है। आज दिनांक 20.03.2026 को एस0आई0टी0 द्वारा 09 अभियुक्तो जिसमें 05 बाल अपचारी भी शामिल है, को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1-गणेश पुत्र गोपाल गिरी निवासी सुभारती यूनिवर्सिटी पैट्रोल पम्प के पीछे थाना परतापुर मेरठ मूल निवासी ग्राम हिलेछापा ओडा नं0 5 जिला गुलमी लुम्बनी प्रदेश नेपाल। उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 5

2-विवेक पुत्र वीरेन्द्र राय निवासी ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद, मूल पता ओली टोला जिला पूर्णिया बिहार। उम्र करीब 18 वर्ष शिक्षा-निल

3-गगन कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 मनोज कुमार निवासी शास्त्रीनगर मेरठ। उम्र करीब 22 वर्ष शिक्षा-12वी पास

4-दुर्गेश निषाद पुत्र बजरंगी निवासी सोनारी रायगढ नवी मुम्बई महाराष्ट्र मूल पता म0नं0 24 काजीपुर पोस्ट सराय मोहद्दीन जामदारा शाहगंज जौनपुर। उम्र करीब 26 वर्ष शिक्षा- कक्षा 9

5- 05 नफर बाल अपचारी

वांछित अभियुक्तो का विवरण-

1-नौशाद अली पुत्र जलालुद्दीन निवासी मुजफ्फरपुर बिहार

2-समीर उर्फ शूटर पुत्र शौकत अली निवासी भागलपुर बिहार।

पूछताछ का विवरण- अभि0गण से की गयी विस्तृत पूछताछ में पाया गया है कि उक्त सम्पूर्ण गिरोह का संचालन सीमापार से किया जा रहा था, जिसके मुख्य सदस्य अब तक की पूछताछ के अनुसार सुहैल मलिक, नौशाद अली व समीर उर्फ शूटर है। उक्त अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अथवा अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षाबल के ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कर उनके फोटो/ वीडियो तथा जी0पी0एस0 लोकेशन विदेशी नम्बरों पर भेजी जाती थी। जी0पी0एस0 लोकेशन हेतु उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने फोन में एक विशेष एप इनस्टॉल किया गया था। उक्त एप के संचालन की ट्रेनिंग भी इन्हे सीमापार विदेशी संचालको द्वारा ऑनलाइन दी गयी थी। इसके अतिरिक्त उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संचालित सिम आधारित स्टैण्ड एलोन, सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये है, जिनकी फीड भी शेयर की जा रही थी। एस0आई0टी0 द्वारा अभियुक्तगण की निशानदेही पर उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे बरामद किये गये है। उक्त के अतिरिक्त 50 अन्य लोकेशन पर इस प्रकार के सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की योजना थी। इसके अतिरिक्त उक्त गिरोह के द्वारा भारतीय सिम नम्बरों पर व्हाट्सअप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सम्बन्धित ओ0टी0पी0 विदेश में भेजे गये है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा रूपये 500 से 5000 तक में उक्त सिम पर विदेश में व्हाट्सअप चलाने हेतु ओ0टी0पी0 शेयर किया है। उक्त सिम को इनके द्वारा स्नैचिंग करके, विभिन्न एजेन्टों के माध्यम से प्री एक्टिवेटिड सिम क्रय कर और स्वयं के अथवा परिवार के सदस्यों के नाम पर भी सिम क्रय कर ओ0टी0पी0 शेयर किये गये है। इनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक टास्क के लिए भुगतान किया जाता था, जो 500 रूपये से 15000 रूपये तक था। भुगतान के लिए अभि0गण द्वारा यू0पी0आई0 प्लेटफॉर्म प्रयोग किये जाते थे परन्तु भुगतान अपने खाते में न लेकर विभिन्न जन सेवा केन्द्र/ दुकानो पर कराये जाते थे और वहां से नगद धनराशि प्राप्त करते थे। उक्त

गिरोह में मुख्य रूप से कम उम्र के ऐसे लडको को शामिल किया जाता था जो तकनीकी रूप से दक्ष हो जैसे मोबाइल मैकेनिक, सी0सी0टी0वी0 ऑपरेटर, कम्प्यूटर मैकेनिक आदि और जिन्हे तत्कालिक रूप से पैसो की आवश्यकता हो।

बरामदगी

1- सी0सी0टी0वी0 कैमरे- 02 अदद
2- मोबाइल फोन- 09 अदद
3- सिम कार्ड- 10 अदद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/34 भादवि व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम में आज दिनांक 20.03.2026 को अभियुक्तगण 1. गुड्डू उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र स्व0 कमरुद्दीन 2. नसीम पत्नी स्व0 कमरुद्दीन निवासीगण मौ0 छोटा कैला थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) गाजियाबाद द्वारा धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से एवं अभि0 गुड्डू उर्फ सिराजुद्दीन उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में भी 02 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई की चाकू मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर दिनांक 26.10.2004 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री अखिलेश कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**म0मु0आ0 सोनिया** पैरोकार थाना कोतवाली

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुंसगत धारा 115(2)/75(2)/64/127(2)/123/137(2)/351(2) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।
तत्पश्चात आज दिनांक 20.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाला सह-अभियुक्त समीर पुत्र तरीकत निवासी मो0 पिरचोरियान देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे गाँव का लड़का फुरकान मेरा दोस्त है जो कि पीड़िता से काफी समय बातचीत करता था। दिनांक 24.01.2026 को हम पीड़िता को घर से बुलाकर फुरकान से शादी कराने के बहाने गाड़ी में ले गये थे। उसी दौरान फुरकान ने मौका पाकर पीड़िता से शारीरिक

सम्बन्ध बना लिये थे व किसी को इस बारे में बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, उक्त घटना में मैंने फुरकान की मदद की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र तरीकत निवासी मो0 पिरचोरियान देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 21 वर्ष।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री हरीश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376/452 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त साहिल उर्फ सलाउद्दीन पुत्र सब्बीर निवासी गली नं0 09 बुद्ध बाजार राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 20.03.2026 को धारा- 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 452 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 15.04.2019 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री हरीश कुमार विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 मुकेश कुमार** पैरोकार थाना लोनी बॉर्डर